विवरणिका

राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, उदयपुर

(मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एवं
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त)

राजस्थान महिला विद्यालय एक–परिचय

प्राकृतिक सुषमा से आवेष्ठित उदयपुर नगर के सुरम्य वातावरण में स्थित राजस्थान महिला विद्यालय की स्थापना सन् 1916 ई. में गेलड़ा परिवार के द्वारा की गई। यह वह समय था जब भारतीय समाज में महिला शिक्षा के प्रति घोर उदासीनता थी। पर्दा प्रथा और सामंती वातावरण के कारण जन मानस में नारी शिक्षा के प्रति विरोध भाव थे। बालिकाओं को सामाजिक पिछड़ेपन की श्रृखला से मुक्त कर उनमें आत्मविश्वास जागृत करने तथा उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की बड़ी आवश्यकता थी। इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मात्र तीन बालिकाओं से सन् 1916 ई. में यह संस्था प्रारम्भ की गई। यह पौध अब विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है । 1916 से अब तक निरन्तर यह संस्था महिला शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसके निम्नांकित विभागों में हजारों बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही है :–

1. राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
2. आर.एम.वी. गर्ल्स कॉलेज
3. दी विजन एकेडमी
4. राजस्थान महिला गेलड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय
5. प्राथमिक शाला
6. विशिष्ट पूर्व प्राथमिक शाला
7. उद्योग शाला
8. सोसायटी विभाग
9. स्पोर्टस एकेडमी

राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

समाज में परिवर्तन का माध्यम शिक्षा है। अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी अध्यापिकाएँ होना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु 2 सितम्बर, 1985 को राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना कर महिला शिक्षा में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा गया। वर्तमान में इस महाविद्यालय में बी.एड. में 180 एवं एम.एड. में 50 छात्राओं के प्रवेश एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ये छात्राध्यापिकाएँ सम्पूर्ण राजस्थान के विभिन्न जिलों से चयन के आधार पर प्रवेश लेती है।

विशेषताएँ :–

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में से मात्र दो महाविद्यालयों को स्थानीय मान्यता प्राप्त है उसमें से एक यह महाविद्यालय है। विश्वविद्यालय अनुदन आयोग से इसे 12.B व 2 F दर्जा प्राप्त है साथ ही महाविद्यालय को NAAC B (2.82) ग्रेड प्राप्त है।
2. शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यह महाविद्यालय सम्पूर्ण मेवाड़ अंचल में एक मात्र स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय है जहाँ बी.एड., एम.एड. एवं पीएच.डी. शोधकार्य करवाया जाता है।
3. महाविद्यालय की प्राचार्या एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन में कई शोधार्थी अपना शोध कार्य (पीएच.डी.) सम्पन्न कर रहे है।
4. महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
5. परीक्षा परिणाम सदैव ही श्रेष्ठ आए हैं विगत वर्षों में महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम शत–प्रतिशत रहा है तथा महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है।

VISION, MISSION AND OBJECTIVES

VISION

1. राष्ट्र के लिए व्यावसायिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षिकाएँ उपलब्ध कराने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना।

MISSION

1. आधुनिक युग और भारतीय समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भावी शिक्षिकाओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना।
2. ऐसी शिक्षिकाएँ तैयार करना जो मूल्य उन्मुख, नवाचार, गतिशील और समाज द्वारा सम्मानित हो।
3. वैश्वीकरण के युग में शिक्षक शिक्षा को आदर्शो के साथ सशक्त बनाने के लिए शिक्षिकाओं के व्यापक प्रतिरूप (Comprehensive Mode) को आगे बढ़ाना।
4. सामाजिक बदलाव और राष्ट्र विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए छात्राओं को सक्षम करना।

OBJECTIVES

1. सीखने, जानने, करने ,साथ रहने के लिए अधिगम को प्रोत्साहित करना।
2. जीवन शैली, आलोचनात्मक चिन्तन, रचनात्मक मूल्य, सामाजिक कौशल, निर्णय शक्ति और नेतृत्व के गुण को एकीकृत करना।
3. मौजूदा राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों व प्रविधियों को प्रोत्साहित करना।
4. प्रभावी संचार कौशल को बढ़ावा देना।
5. विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को विकसित करना।

6. सहयोगात्मक अधिगम के साथ सहयोग एवं जिज्ञासा वृत्ति को विकसित करना।
7. शिक्षा पर विचारों का आदान–प्रदान एवं अंतः क्रिया के अवसर उपलब्ध कराना एवं तार्किक चिन्तन करना।
8. लोकतांत्रिक, समतावादी, बहुलवादी, समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना।

प्रवेश प्रक्रिया

बी.एड. एवं एम.एड.

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया ऑन लाईन है जिसमें निर्धारित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शिक्षक पूर्व परीक्षा (पी.टी.ई.टी.) एवं शिक्षा निष्णात पूर्व परीक्षा (पी.एम.ई.टी.) में मेरिट के आधार पर छात्राध्यापिकाओं का चयन होता है, जिसकी विषय सहित सूची संबंधित पी.टी.ई.टी. एवं पी.एम.ई.टी. परीक्षा आयोजित करने वाले विश्वविद्यालय से प्राप्त होती है । प्रवेश के लिए निर्धारित समयावधि पर छात्राध्यापिकाओं को पासपोर्ट साईज के दो फोटो के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों तथा उनकी दो–दो फोटो प्रतियों के साथ महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होती है:–

1. पीटीईटी आवेदन पत्र
2. पी.टी.ई.टी. प्रवेश पत्र
3. पी.टी.ई.टी. अंक तालिका
4. पी.टी.ई.टी. अस्थायी महाविद्यालय आवंटन पत्र
5. 5000/– व 22000/– चालान या ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन रसीद
6. सैकण्डरी अंकतालिका व प्रमाण–पत्र
7. सीनीयर सैकण्डरी अंकतालिका
8. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की अंकतालिका
9. स्नातकोत्तर अंकतालिका
10. मूल टी.सी.

11. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से अंतिम परीक्षा उतीर्ण करने की स्थिति में नामांकन आवेदन पत्र एवं माइग्रेशन परीक्षा फॉर्म के साथ जमा करवाए।

12. अन्तराल प्रमाण–पत्र

नोट :– एम.एम. छात्राओं को उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के अतिरिक्त बी. एड. की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र भी लगाना अनिवार्य है।

Learning Outcomes (M.Ed.)

- Students will be able to get mastery over the content areas and stage specificity in training for various school levels.
- Ability to develop Perception about the learners and learning holistic approach in learning.
- Students will be able to understand education as a discipline and strengthening of knowledge base of education in India context and creating opportunity for interdisciplinary enquiry.
- Students will be able to develop the integrative, eclectic, humanistic, non-deductive and exploratory nature of teacher education responsive to changing socio-cultural contesets, diversity in learning needs, multicultural contexts, inclusive education and reflective practices.
- Students will be understand the framework of core course and specialization stream that train them for the various professional roles.
- Students will be able to balance themselves between theory and field exposure.
- Students will be able to use of ICT, multimedia and E-learning .

- Students will be able in organization of workshopes, practicum, activities and seminars to enhance professional skills.
- Students will be able to develop through Internship programme covering both preservice as well as in-service teacher education programmes.
- Students will be able learn basis steps and concept of Research through dissertation.

Learning Outcomes (B.Ed.)

1. Competence to teach effectively two school subjects at the secondary/senior secondary level.
2. Ability to translate broad objectives of secondary/senior secondary education in terms of specific programmes and activities in relation to the curriculum.
3. Ability to understand children's needs, motives, growth pattern and the process of learning to stimulate learning and creative thinking to foster growth and development.
4. Ability to use (a) individualized instruction and (b) dynamic methods in large classes.
5. Ability to examine pupil's progress and effectiveness of their own teaching through the use of proper evaluation techniques.
6. Use of Equipment for diagnosing pupil's difficulties and deficiencies in achievement and dealing with them through remedial work.
7. Readiness to spot talented and gifted children and capacity to meet their needs.
8. Ability to cater to the need of children with special needs.
9. Ability to organize various school programmes, activities for pupils.
10. Ability to provide guidance in educational, personal and vocational matters.

11. Ability to asses the all round development of pupils and to maintain a cumulative record.
12. Development of certain practical skills such as:
    (a) Black board work
    (b) Preparing improvised apparatus
    (c) Preparing teaching aids
13. Developing professional competence.
14. Readiness to participate in activities of professional organizations.

पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना लागू है। यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम दो खण्डों में विभक्त है– सैदांतिक एवं प्रायोगिक।

महाविद्यालय में संचालित शिक्षण शास्त्र

(A) कला वर्ग के शिक्षण शास्त्र विषय

1) ड्राइंग व पेटिंग
2) राजनीति विज्ञान
3) गृह विज्ञान
4) अर्थ शास्त्र
5) अंग्रेजी
6) भूगोल
7) हिन्दी
8) इतिहास
9) संगीत
10) सामाजिक अध्ययन
11) संस्कृत

(B) विज्ञान वर्ग के शिक्षण शास्त्र विषय

1) भौतिक विज्ञान
2) जीव विज्ञान

3) रसायन विज्ञान
4) सामान्य विज्ञान
5) गणित

(C) वाणिज्य वर्ग के शिक्षण शास्त्र विषय

1) बुक कीपिंग
2) कॉमर्स प्रेक्टिस

गणवेश

1. गहरे क्रीम कलर की साड़ी मय मेहरून रंग के बोर्डर के साथ मेहरून रंग का आधी आस्तीन का ब्लाउज तथा गहरे क्रीम कलर का कुर्ता (आधी आस्तीन का) महरून सलवार तथा महरून चुन्नी।
2. सर्दियों में मेहरून कार्डिगन
3. सफेद रंग के पी.टी. शूज व सफेद मोजे

उपस्थिति

छात्राध्यापिकाओं की उपस्थिति सम्बन्धी नियम विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार मान्य होगें।

महाविद्यालय संबंधी नियम

1. प्रत्येक छात्राध्यापिका के लिए पंचाक (केलेण्डर) समय सारणी एवं समय–समय पर प्रसारित नियमों की पालना करना आवश्यक है।
2. बी.एड. प्रशिक्षण की अवधि में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक किसी भी प्रकार की नौकरी अथवा अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्वीकारना पूर्णतया वर्जित है।

3. राजकीय सेवा में कार्यरत छात्राध्यापिकाएँ महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यमुक्ति प्रमाण–पत्र साथ लाएँ अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. प्रत्येक छात्राध्यापिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति पूर्ण करने पर ही वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगी।
5. अध्यापन अभ्यास एवं महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों के समय किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा एवं अनुपस्थित रहने वाली छात्रा वार्षिक परीक्षा से स्वतः ही वंचित हो जाएगी।
6. महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात प्रशिक्षण छोड़ने पर जमा किया हुआ शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।
7. प्रत्येक छात्राध्यापिका को महाविद्यालय की गणवेश में महाविद्यालय द्वारा निश्चित समय में उपस्थित होना अनिवार्य है।
8. समस्त विवादों के लिए न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।
9. महाविद्यालय प्रांगण की स्वच्छता का ध्यान रखे।

छात्रावास से संबंधी नियम

1. छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रेषित करना आवश्यक है।
2. छात्रावास में प्रवेश के समय माता–पिता या संरक्षक को स्थानीय संरक्षक का नाम व फोटो तथा पूरे सत्र में मिलने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करनी होगी तथा माता, पिता, संरक्षक द्वारा उक्त सूची को सत्यापित करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को छात्राओं से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3. छात्राओं को **Common** उपयोग हेतु बिजली, पंखा, कचरा पात्र एवं व्यक्तिगत उपयोग हेतु टेबल, कुर्सी, अलमारी, पलंग (स्वेच्छा अनुसार बिस्तर) उपलब्ध करवाया जाता है। यह सुविधाऐं रजिस्टर में हस्ताक्षर करवा कर दी जाती है।

4. छात्राओं को नहाने के लिये गरम पानी व पीने हेतु RO युक्त पानी उपलब्ध करवाया जाता है।

5. Common use हेतु टॉयलेट, टी.वी., खेलकूद व कॉमन रूम उपलब्ध करवाया जाता है।

निवास हेतु आदर्श व्यवहार नियम

6. छात्रावास अधीक्षिका की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी छात्रा अपना कमरा या छात्रावास से प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकेगीं ।

7. छात्राओं को चाय, नाश्ता, लंच एवं डिनर के निर्धारित समय पर भोजनशाला में बैठकर ही करना होगा । कक्ष में भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है।

8. भोजनशाला में लाईन बनाकर ही भोजन लें तथा अनुशासन बनाए रखें।

9. छात्राओं को स्वयं अपने कक्ष की सफाई करनी होगी । छात्रावास परिसर और शौचालय संबंधी सफाई पर भी छात्राओं को घ्यान देना आवश्यक होगा ।

10. झूठे बर्तन निर्धारित स्थान पर ही धोने एवं कपड़ों को भी निर्धारित स्थान पर ही सुखाने की जिम्मेदारी भी छात्राओं की होगी ।

11. सूर्योदय होने पर बिजली बंद करना प्रत्येक छात्रा का दायित्व होगा। महाविद्यालय में समय–समय पर होने वाले लघु एवं लम्बे अवकाश के समय छात्रा के कक्ष में बिजली जलती हुई पायी गई तो उस कक्ष में रहने वाली समस्त छात्राओं को वोल्टेज की दर से दुगुना व्यय जमा कराना होगा।

12. छात्रावास के कमरों की दिवारों तथा दरवाजों पर लिखना मना हैं।

आने –जाने एवं मिलने का समय

13. स्थानीय अभिभावक से मिलने का समय रविवार एवं राजकीय अवकाश के दिनों में सायं 4.00 से 7.00 बजे के बीच होगा।

14. परिस्थितिवश अतिरिक्त समय में मिलना आवश्यक हो तो अधीक्षिका की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

15. स्थानीय अभिभावक के यहां जाने की अनुमति रविवार या राजकीय अवकाश के दिनों में अभिभावक से पूर्व में प्राप्त स्वीकृति के अनुसार ही प्रदान की जाएगी।

16. छात्रावास से अवकाश की आवश्यकता होने पर अभिभावक का संरक्षक के द्वारा अनुशंषित प्रार्थना पत्र पर महाविद्यालय के प्राचार्या की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

17. अवकाश के अतिरिक्त दिनों में छात्राध्यापिकाएँ अधीक्षिका की स्वीकृति प्राप्त कर आवक–जावक रजिस्टर में प्रविष्टि कर आ जा सकेंगी।

18. छात्रावास के नियमों की पालना नहीं करने एवं प्राचार्या की अनुमति के बिना एक दिन भी मुख्यालय त्यागने की स्थिति में छात्रावास से निष्कासित कर दिये जाने के पश्चात पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।

छात्रावास अधीक्षिका की जिम्मेदारी व कर्तव्य

19. प्रतिदिन सांय 7.00 बजे अधीक्षिका द्वारा उपस्थिति अंकित होगी।

20. छात्रावास में आने वाले सभी पत्रों को चेक करने का अधिकार अधीक्षिका को होगा ।

21. अधीक्षिका स्वयं का अवकाश स्वीकृत करवाये बिना छात्रावास नहीं छोड सकेगी ।

22. बीमार छात्राओं के लिए चिकित्सा सुविधा उपल्बध करवायेगी।

23. अधीक्षिका छात्रावास में पानी की टंकी, नालियों व परिसर की साफ– सफाई का समय– समय पर निरीक्षण करेगी।

24. भोजनशाला में छात्राओं के अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखना।

25. छात्रावास की समस्त स्थायी एवं अस्थायी सामग्री का रेकॉर्ड रखना। वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन करना साथ ही छात्रावास सम्बन्धित समस्त रेकॉर्ड को व्यवस्थित रखना।

26. नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्द्धन का अधिकार राजस्थान महिला विद्यालय कार्य समिति को होगा ।